केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन

(भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)

अचल संपत्ति उत्कृष्टता के 25 साल

छठा तल, "ए" विंग जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोनः 011–23717249, 23739722, 23355408

फैक्स नः 011–23717250 बेवसाइटः **www.cgewho.in,** ई–मेलः **cgewho@nic.in**

1995 से प्रति दिन दो मकानों का निर्माण

सीजीईडब्ल्यूएचओ
ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना
में आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है

सीजीईडब्ल्यूएचओ के बारे में : सीजीईडब्ल्यूएचओ आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।

अवस्थिति : सीजीईडब्ल्यूएचओ के अधिकार में प्लॉट नंबर 7, सेक्टर पी–4 (फाई–2, बिल्डर्स एरिया, निकट यूनिटेक हाइट्स, ग्रेटर नोएडा) स्थित भूमि है।

आवासीय योजना के बारे में : इस परियोजना में 2130 आवास इकाइयां शामिल हैं जिनका निर्माण सीजीईडब्ल्यूएचओ के पास उपलब्ध 30 एकड़ (लगभग) भूमि पर किया जा रहा है। यद्यपि आवास इकाइयों का अधिकांश भाग आबंटित किया जा चुका है, तथापि सभी प्रकार की आवास इकाइयों में कुछ इकाइयां रिक्त हैं। सीजीईडब्ल्यूएचओ की ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना में आबंटन के लिए सीजीईडब्ल्यूएचओ के नियमों के अनुसार प्राथमिकता संवर्ग – I, II एवं III से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (पंजीकृत व्यक्ति, जो ड्रॉ में असफल रहे थे और वे आवेदक जो अपना नाम वापस ले चुके हैं और अपना आवेदन संशोधित करवाने के इच्छुक हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी)।

आवास स्थल का विवरण तथा ईएमडी :

प्रकार	आवास	लगभग सुपर एरिया (वर्ग फीट में)	तल संख्या (लिफ्ट के साथ)	ईएमडी + आवेदन शुल्क (रू. में)	फ्लैट की अनुमानित लागत एक कार पार्किंग सहित* (रू. में)
ए	1बीएचके	682	B+S+13	60,500	25,36,358/-
बी	2बीएचके	1120	B+S+13/11	1,20,500	41,65,280/-
सी	3बीएचके	1470	B+S+14/12/11/9	1,81,000	54,66,930/-
डी	4बीएचके	2100	B+S+14	2,41,000	78,09,900/-

*विस्तृत विवरण, स्पष्टीकरणों, निबन्धन एवं शर्तों तथा नियमों के लिए, हमारी वेबसाइट **www.cgewho.in** देखें अथवा सीजीईडब्ल्यूएचओ की ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना की विवरणी प्राप्त करें, जिसमें नियम दिए गए हैं।

पात्रता : निम्नलिखित संवर्गों से सीजीईडब्ल्यूएचओ के नियमों के अनुसार प्राथमिकता–क्रम में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. **प्राथमिकता – I :** केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सेवारत अथवा सेवानिवृत तथा मृतक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की पत्नी/पति।
2. **प्राथमिकता – II :** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकायों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि की सेवा में कर्मचारी तथा रक्षा मंत्रालय के सेवारत वर्दीधारी कर्मचारी और रेल मंत्रालय के सेवारत कर्मचारी।
3. **प्राथमिकता – III :** सामान्य जन।

नोट : क) यदि आवेदन उपलब्ध आवास इकाइयों से अधिक संख्या में प्राप्त होंगे, आबंटन उपरोक्त प्राथमिकताओं के क्रम में प्रदान किए जाएंगे।

ख) यदि किसी विशिष्ट प्राथमिकता में प्राप्त आवेदनों की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी, आबंटन लाटरी द्वारा किया जाएगा।

ग) ग्रेटर नोएडा टाउन/सिटी की सीमा में अपने या अपने पति/पत्नी के नाम में आवासीय सम्पत्ति के धारक व्यक्ति इस स्कीम के लिए ग्राह्य नहीं होंगे।

विशेष आकर्षण :

1. कॉम्प्लेक्स का निर्माण अति आधुनिक सुख–सुविधाओं के साथ तथा विनिर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।
2. ग्रिल युक्त कॉमन बाउण्ड्री वॉल।
3. लाइटिंग तथा सुरक्षा व्यवस्था।
4. सभी कॉमन एरियाज के लिए डीजी बैकअप तथा सभी फ्लैट्स के लिए समर्पित लोड।
5. एक बहुउद्देशीय कम्युनिटी सेंटर, स्विमिंग पूल, बैंक्विट हॉल, जिमनेजियम इत्यादि सहित।
6. प्रवेश और निकास द्वार पर स्वचलित बूम बैरियर्स।
7. आईजीएल से पीएनजी की व्यवस्था।
8. परियोजना पूरी होने की तिथि से 24 माह की अवधि के लिए दोष दायित्व अवधि।
9. गुणवत्ता नियंत्रण और संरचना डिजाइन की जांच आईआईटी रूड़की द्वारा।
10. निर्माण के साथ संबद्ध भुगतान।

आवेदनों की बिक्री :

इच्छुक आवेदक सीजीईडब्ल्यूएचओ की ग्रेटर नोएडा हाउसिंग स्कीम के लिए आबंटन के नियमों से युक्त विवरणी नकद रूप में या सीईओ, सीजीईडब्ल्यूएचओ के पक्ष में नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा रू. 100/– के भुगतान पर दिनांक 20/10/2015 की प्रभावी तिथि से निम्नलिखित किसी भी स्थान से प्राप्त कर सकते हैं :

i) सीजीईडब्ल्यूएचओ का नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय।

ii) सीजीईडब्ल्यूएचओ की आधिकारिक वेबसाइट (**www.cgewho.in**) से डाउनलोड द्वारा। ऐसे मामले में, आवेदन प्रपत्र के मूल्य के रूप में रू. 100/– अतिरिक्त जोड़ लें।

आवेदनों की प्राप्ति और अंतिम तिथि :

विधिवत भरे गए आवेदन केवल सीजीईडब्ल्यूएचओ के प्रधान कार्यालय को ही, अधिकतम **20/11/2015** तक भेजे ।